



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

No. 26]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2019

सं. भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./167315.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से “अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000” में पुनः संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

1. (i) ये विनियम "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियमावली, 2018" कहे जायेंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2 (i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अर्हक मापदंड और संबंधन की सहमति के प्रपत्र के संबंध में “अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000” के भाग- I को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“संख्या :

विश्वविद्यालय का नाम :

दिनांक :

स्थान :

संबंधन की सहमति*(पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए)*

..... [विश्वविद्यालय का नाम] ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 10(क) के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने की शर्त के अधीन..... की वार्षिक प्रवेश क्षमता (सीटों की संख्या का उल्लेख करें) के साथ (पते के साथ मेडिकल कालेज का नाम) में एम डी-/एम एस-/ डी एम-/ एम.सीएच – में डिप्लोमा आरंभ करने के लिए संबद्ध किया जाए।

संबंधन की यह सहमति, जारी किए जाने की तारीख से आवेदनपत्र की प्रोसेसिंग हेतु तीन शैक्षिक वर्षों के लिए वैध होगी।

(विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

टिप्पणी :

(1) उस पाठ्यक्रम का नाम काट दें, जो लागू नहीं है, और उस विशेषज्ञता ब्रॉड/अति विशेषज्ञता का नाम शामिल करें, जिसके लिए अनुसूची – विशेषज्ञताओं/विषयों जिनमें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जा सकते हैं, के अनुसार आवेदन किया जा रहा है। विनिर्धारित नाम से किसी विषय की अनुमति नहीं होगी।

(2) संबंधन की सहमति उपर्युक्त प्रपत्र पर होनी चाहिए और कोई अन्य प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संबंधन की अलग सहमति जारी की जानी चाहिए। कोई पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन पत्र, एक वर्ष पहले दिए जाते हैं, आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु, केन्द्र सरकार को आवेदन के वर्ष के 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल विनिर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त संबंधन की सहमति सहित शैक्षिक वर्ष 2020-21 से ही स्वीकार किए जाएंगे।”

2 (ii) अर्हता मापदंड खंड 5(1) का विलोप किया जाएगा।

(iii) परिशिष्ट -1 के अंतर्गत आवेदन फार्मों के साथ संबद्ध किए जाने वाले अनुलग्नकों की सूची, निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी:-

“ (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई संबंधन की सहमति।

(ii) संस्थान के डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा साक्षात्कृत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से प्राप्त पत्र की प्रति जिसमें कालेज/संस्थान (यदि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा पहले ही अनुमोदित है) की मान्यता का अनुमोदन किया गया हो।”

3 (i) “अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000” के भाग-II में विनियम 3(3) के पश्चात, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि के लिए सहमति का निम्नलिखित प्रपत्र जोड़ा जाएगा:-

“संबंधन की सहमति

संख्या :

विश्वविद्यालय का नाम :

दिनांक :

स्थान :

संबंधन की सहमति
[सीटों की वृद्धि के लिए]

..... (विश्वविद्यालय का नाम) ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 10(क) के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने की शर्त के अधीन..... की वार्षिक प्रवेश क्षमतासे..... (सीटों की संख्या का उल्लेख करें) के साथ (पते के साथ मेडिकल कालेज का नाम) में एम डी-/एम एस-/डी एम-/ एम.सीएच – में “डिप्लोमा में सीटों की वृद्धि के लिए संबद्ध किया जाए।

संबंधन की यह सहमति, जारी किए जाने की तारीख से आवेदनपत्र की प्रोसेसिंग हेतु तीन शैक्षिक वर्षों के लिए वैध होगी।

(विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

टिप्पणी :

- (1) उस पाठ्यक्रम का नाम काट दें, जो लागू नहीं है, और उस विशेषज्ञता ब्रॉड/अति विशेषज्ञता का नाम शामिल करें, जिसके लिए अनुसूची – विशेषज्ञताओं/विषयों जिनमें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जा सकते हैं, के अनुसार आवेदन किया जा रहा है, विनिर्धारित नाम से किसी विषय की अनुमति नहीं होगी।
- (2) संबंधन की सहमति उपर्युक्त प्रपत्र पर होनी चाहिए और कोई अन्य प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- (3) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संबंधन की अलग सहमति जारी की जानी चाहिए। कोई सीटों में वृद्धि करने के लिए आवेदनपत्र, एक वर्ष पहले दिए जाते हैं, आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए सीटों में वृद्धि करने हेतु, केन्द्र सरकार को आवेदन के वर्ष के 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदनपत्र केवल निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त संबंधन की सहमति सहित शैक्षिक वर्ष 2020-21 से ही स्वीकार किए जाएंगे।”
4. परिशिष्ट-II में, आवेदन फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलगनकों की सूची निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी:-

“अनुलगनक :

- (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई संबंधन की सहमति।”

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

[विज्ञापन-III/4/असा./506/18]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामतः “अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34 (41)/2000/मेड के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में 7 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22/03/2005, 29/07/2008, 23/09/2009, 09/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015, 29/04/2016, 24/10/2016, 06/07/2017 और 07/06/2018 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित की गई थी।

BOARD OF GOVERNORS

IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2019

No. MCI 18(1)/2018-Med./167315.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training

(including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study Or Training), Regulations 2000” namely:-

- 1.(i) These Regulations may be called “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study Or Training) (Amendment), Regulations 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. (i) In Part-I of “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations, 2000” with regard to qualifying criteria and format of Consent of Affiliation for starting of Postgraduate Courses be substituted by the following:-

No. :

Name of University :

Dated :

Place :

CONSENT OF AFFILIATION

[For Starting of Course]

The _____ [Name of the University] has decided in principle to affiliate for the Starting of Diploma in - /MD-MS - /DM- /M.Ch. at (Name of Medical College with address) with an annual intake capacity of (specify number of seats), subject to the grant of permission under section 10(A) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

This Consent of Affiliation shall be valid for processing of application for three academic years from the date of issue.

(Signature of Competent Authority of the University)

Note :

- (1) Strike-off the name of course whichever is not applicable and include the name of speciality Broad/ Super-Speciality for which application is being made as per the Schedule – Specialities/ Subjects in which Postgraduate Degree and Diploma can be awarded by the Indian Universities of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000. Any deviation from prescribed nomenclature shall not be permissible.
- (2) The Consent of Affiliation should be in above format and no other format would be acceptable.
- (3) Separate Consent of Affiliation should be issued for each course.

The applications for starting of a course are made one year in advance. The applications that are made between 15th March to 7th April, of the year of application to Central Government shall be considered for starting of the course for the coming academic year. Applications with the above Consent of Affiliation in prescribed Format shall only be accepted w.e.f. Academic year 2020-21 onwards.”

- 2 (ii) The qualifying criteria clause 5(1) shall be deleted.
- (iii) List of Enclosures to be attached with the Application form under Appendix-I shall be substituted as under:-
 - “ (i) Consent of Affiliation issued by a recognized University
 - (ii) Copy of the letter from Medical Council of India approving recognition of the college/institution (if already approved by Medical Council of India) attested by Dean/Principal/Director of Institute.”
- 3 (i) In Part-II of “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations, 2000”, the following format of Consent of Affiliation for increase of seats in Postgraduate Courses shall be added after Regulations 3(3):-

“CONSENT OF AFFILIATION

No. :

Name of University:

Date :

Place :

“CONSENT OF AFFILIATION*[For Increase of seats]*

The..... [Name of the University] has decided in principle to affiliate for the Increase of seat in Diploma in- /MD - /MS - /DM- /M.Ch.- at (Name of Medical College with address) with annual intake capacity from to (specify number of seats), subject to the grant of permission under section 10(A) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

This Consent of Affiliation shall be valid for processing of application for three academic years from the date of issue.

(Signature of Competent Authority of the University)

Note :

- (1) Strike-off the name of course whichever is not applicable and include the name of speciality Broad/ Super-Speciality for which application is being made as per the Schedule – Specialities/ Subjects in which Postgraduate Degree and Diploma can be awarded by the Indian Universities of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000. Any deviation from prescribed nomenclature shall not be permissible.
- (2) The Consent of Affiliation should be in above format and no other format would be acceptable.
- (3) Separate Consent of Affiliation should be issued for each course.

The applications for increase of seats are made one year in advance. The applications that are made between 15th March to 7th April, of the year of application to Central Govt. shall be considered for increase of seats for the coming academic year. Applications with the above Consent of Affiliation in prescribed Format shall only be accepted w.e.f. Academic year 2020-21 onwards.”

4. In Appendix-II, the list of enclosure to be attached with the Application Form shall be substituted as under:-

“Enclosure:

- (i) Consent of Affiliation issued by a recognized University.”

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General, Medical Council of India

[ADVT. -III/4/Exty./506/18]

Footnote: The Principal Regulations namely, “Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000” were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000 *vide* Medical Council of India Notification No.34(41)/2000/Med., dated 14th August, 2000 and amended *vide* MCI notifications dated 22/03/2005, 29/07/2008, 23/09/2009, 09/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015, 29/04/2016, 24.10.2016, 06/07/2017 and 07.06.2018.